उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्रांकः I/9437/2025-का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29 Comp No.: **17683** दिनांक : **25-04-2025**

समस्त मुख्य अभियंता (स्तर-I एवं II),
समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियंता,
समस्त उप महाप्रबन्धक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 ।

विषयः- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों के समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों / कर्मचारियों, जो दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी वेतन संरचना में वेतन आहरित कर रहे हैं, को दिनांक 01 जनवरी, 2025 से बढ़ी हुई दर पर महँगाई भत्ते का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश संख्या 1255-का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पाकालि/24-7-काविनी एवं वे०प्र०/17 दिनांक 29.10.2024 के अनुक्रम में दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमानों में कारपोरेशन के समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2025 से निम्नानुसार बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य होगा :-

तिथि जब से देय है	**मंहगाई भत्ते की मासिक दर**
01 जनवरी, 2025	मूल वेतन का 55 प्रतिशत

उपरोक्त बढ़ी हुई दर से महँगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में निम्न प्रमुख बिन्दु निर्धारित किये गये हैं :-

1. इस आदेश द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते के आगणन हेतु "मूल वेतन" का तात्पर्य दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

2. महँगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम-9(21) के अन्तर्गत 'वेतन' नहीं माना जायेगा।

(क्रमशः....... 2)

3. इस आदेश द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ता उन कर्मचारियों पर भी प्रभावी होगा, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवाएं चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्ति, मृत्यु या सेवा-मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हों, सेवा-समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

4. इस आदेश द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा पचास पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और पचास पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

5. इस आदेश द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से देय धनराशि का भुगतान माह अप्रैल, 2025 के नियमित वेतन के साथ नकद किया जायेगा।

6. इस आदेश द्वारा स्वीकृत दरों पर महँगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2025 से दिनांक 31 मार्च, 2025 तक की देय अवशेष धनराशि का भुगतान अधिकारी/कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते/अंशदायी भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती करते हुए कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0 1226-पें0एवंआर0-28/पाकालि/23-07-पें0एवंआर0/2023 दिनांक 20.07.2023 में निर्धारित सीमा के अधीन जमा की जायेगी। इस प्रकार सामान्य भविष्य निधि खाते/अंशदायी भविष्य निधि खाते में जमा अवशेष धनराशि दिनांक 01 अप्रैल, 2026 तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर, जिनमें भविष्य निधि नियमों/अंशदायी भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawl) देय हो जाये, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी, सामान्य भविष्य निधि खाते/अंशदायी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है, तो उक्त अवशेष धनराशि उसके पब्लिक प्रोविडेन्ट फण्ड (पी0पी0एफ0) में जमा करायी जायेगी अथवा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में प्रदान की जायेगी। परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, तो उसे नकद दी जायेगी।

7. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस आदेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जनवरी, 2025 से आदेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा अगले 06 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय महँगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

उक्त आदेशों द्वारा स्वीकृत बढ़ी हुई महँगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु उप महाप्रबन्धक (लेखा) द्वारा प्राधिकार-पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

<u>अध्यक्ष</u>

(क्रमशः....... 3)

संO- I/9437/2025-(I)-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/2025 दिनांक : 25-04-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेषक, उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/मध्यॉंचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणॉंचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/पश्चिमॉंचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/ केस्को, कानपुर।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
5. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
6. अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. अपर सचिव (प्रथम)/(द्वितीय)/(तृतीय), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
12. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा)/(केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ) उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
13. अनु सचिव (स0प्र0-लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेषन लि० की वेबसाईट, **www.uppcl.org** पर अपलोड करने हेतु।
16. क्रीड़ा अधिकारी सम्बद्ध संयुक्त सचिव (स0प्र0), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन मुख्यालय के पुस्तकालय के संकलन हेतु।
17. अभिरक्षण पत्रावली।

भवदीया,

25/04/2025

(अंजू)

अनु सचिव (का.वि.नी. एवं विनियम)